संख्या-275/2025/1020 /41-2-2025-CN-18**07984**

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0**,** लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 28 अप्रैल**,** 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष **2025-26** हेतु अनुदान सं**0-44** के राजस्व मद के विभिन्न लेखाशीर्षों के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-144603/3-लेखा/बजट/2025-26**,** दिनांक 17 अप्रैल**,** 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-44 में प्राप्त लेखानुदान के अनुसार राजस्व मद के लिए विभिन्न लेखार्शर्षों/उपशीर्षों में प्रावधानित धनराशि को निम्न तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष/मानक मद में उनके सम्मुख स्तम्भ-2 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

अनुदान सं0-44		
लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय		
लेखाशीर्ष/मानक मद	**वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित आय-व्ययक**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि**
1	**2**	**3**
01-वेतन	700.00	400.00
02-मजदूरी	18.00	18.00
03-मंहगाई भत्ता	420.00	250.00
04-यात्रा व्यय	5.00	5.00
05-स्थानांतरण यात्रा व्यय	5.00	5.00
06-अन्य भत्ते	0.50	0.50
07-मानदेय	1.00	1.00
08-कार्यालय व्यय	37.00	37.00
09-विद्युत देय	200.00	200.00
10-जलकर/जल-प्रभार	10.00	10.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00	10.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00	10.00
13-टेलीफोन पर व्यय	15.00	15.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	75.00	75.00
16-व्यावसायिक तथा विशेषसेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	20.00	20.00
29-अनुरक्षण	20.00	20.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.00	10.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	20.00	20.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	18.00	18.00
49-चिकित्सा व्यय	30.00	30.00
51-वर्दी व्यय	1.00	1.00
55-मकान किराया भत्ता	60.00	35.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	70.00	70.00
योग-001/03	**1,762.50**	**1,267.50**
लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान		
01-वेतन	1300.00	750.00
02-मजदूरी	6.00	6.00
03-मंहगाई भत्ता	780.00	450.00
04-यात्रा व्यय	15.00	15.00
05-स्थानांतरण यात्रा व्यय	6.00	6.00
06-अन्य भत्ते	1.00	1.00
07-मानदेय	0.50	0.50
08-कार्यालय व्यय	17.00	17.00
09-विद्युत देय	10.00	10.00
10-जलकर/जलप्रभार	1.00	1.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	8.00	8.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00	6.00
13-टेलीफोन पर व्यय	5.00	5.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	25.00	25.00
16-व्यावसायिक तथा विशेषसेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	60.00	60.00
29-अनुरक्षण	8.00	8.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	2.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00	10.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	8.00	8.00
49-चिकित्सा व्यय	18.00	18.00

51-वर्दी व्यय	1.00	1.00
55-मकान किराया भत्ता	115.00	80.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	160.00	160.00
योग-104/03	**2,569.50**	**1,654.50**
लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार		
04-अलीगढ़ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना		
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	290.00	290.00
योग-104/04	**290.00**	**290.00**
लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार		
-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन		
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	550.00	550.00
42-अन्य व्यय	10.00	10.00
योग-104/08	**560.00**	**560.00**
लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय		
13-उत्तर पदेश ब्रज तीर्थ परिषद, मथुरा		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	250.00	250.00
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	280.00	280.00
योग-800/13	**530.00**	**530.00**

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27.03.2025 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) पूर्व में निवर्तन पर रखी गयी धनराशि एवं वर्तमान में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का सक्षम स्तर से अनुमोदित उपयोगिता प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय **)**

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**01** वेतन	**4,00,00,000** **(** रुपये चार करोड़ मात्र **)**
2	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**02** मजदूरी	**18,00,000** **(** रुपये अठारह लाख मात्र **)**
3	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**03** मंहगाई भत्ता	**2,50,00,000** **(** रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र **)**
4	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**04** यात्रा व्यय	**5,00,000** **(** रुपये पाँच लाख मात्र **)**
5	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**05** स्थानान्तरण यात्रा व्यय	**5,00,000** **(** रुपये पाँच लाख मात्र **)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**06** अन्य भत्ते	**50,000** **(** रुपये पचास हजार मात्र **)**
7	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**07** मानदेय	**1,00,000** **(** रुपये एक लाख मात्र **)**
8	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**08** कार्यालय व्यय	**37,00,000** **(** रुपये सैंतीस लाख मात्र **)**
9	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**09** विद्युत देय	**2,00,00,000** **(** रुपये दो करोड़ मात्र **)**
10	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**10** जलकर / जल प्रभार	**10,00,000** **(** रुपये दस लाख मात्र **)**
11	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**11** लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	**10,00,000** **(** रुपये दस लाख मात्र **)**
12	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**12** कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**10,00,000** **(** रुपये दस लाख मात्र **)**
13	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**13** टेलीफोन पर व्यय	**15,00,000** **(** रुपये पन्द्रह लाख मात्र **)**
14	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**15** गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	**75,00,000** **(** रुपये पचहत्तर लाख मात्र **)**
15	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**16** व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	**5,00,000** **(** रुपये पाँच लाख मात्र **)**
16	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**17** किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	**20,00,000** **(** रुपये बीस लाख मात्र **)**
17	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**29** अनुरक्षण	**20,00,000** **(** रुपये बीस लाख मात्र **)**
18	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**44** प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	**10,00,000** **(** रुपये दस लाख मात्र **)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

19	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**45** अवकाश यात्रा व्यय	**2,00,000** **(** रुपये दो लाख मात्र **)**
20	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**46** कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	**20,00,000** **(** रुपये बीस लाख मात्र **)**
21	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**47** कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	**18,00,000** **(** रुपये अठारह लाख मात्र **)**
22	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**49** चिकित्सा व्यय	**30,00,000** **(** रुपये तीस लाख मात्र **)**
23	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**51** वर्दी व्यय	**1,00,000** **(** रुपये एक लाख मात्र **)**
24	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**55** मकान किराया भत्ता	**35,00,000** **(** रुपये पैंतीस लाख मात्र **)**
25	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**58** आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	**70,00,000** **(** रुपये सत्तर लाख मात्र **)**
	कुल			**12,67,50,000** **(रुपये बारह करोड़ सड़सठ लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452801040300 (अधिष्ठान **)**

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**01** वेतन	**7,50,00,000** **(** रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र **)**
2	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**02** मजदूरी	**6,00,000** **(** रुपये छह लाख मात्र **)**
3	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**03** मंहगाई भत्ता	**4,50,00,000** **(** रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र **)**
4	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**04** यात्रा व्यय	**15,00,000** **(** रुपये पन्द्रह लाख मात्र **)**
5	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**05** स्थानान्तरण यात्रा व्यय	**6,00,000** **(** रुपये छह लाख मात्र **)**
6	**044**	**3452801040300**	**06**	**1,00,000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		अधिष्ठान	अन्य भत्ते	(रुपये एक लाख मात्र)
7	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**07** मानदेय	**50,000** (रुपये पचास हजार मात्र)
8	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**08** कार्यालय व्यय	**17,00,000** (रुपये सत्रह लाख मात्र)
9	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**09** विद्युत देय	**10,00,000** (रुपये दस लाख मात्र)
10	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**10** जलकर / जल प्रभार	**1,00,000** (रुपये एक लाख मात्र)
11	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**11** लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	**8,00,000** (रुपये आठ लाख मात्र)
12	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**12** कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**6,00,000** (रुपये छह लाख मात्र)
13	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**13** टेलीफोन पर व्यय	**5,00,000** (रुपये पाँच लाख मात्र)
14	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**15** गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	**25,00,000** (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
15	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**16** व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	**5,00,000** (रुपये पाँच लाख मात्र)
16	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**17** किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	**60,00,000** (रुपये साठ लाख मात्र)
17	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**29** अनुरक्षण	**8,00,000** (रुपये आठ लाख मात्र)
18	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**44** प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	**2,00,000** (रुपये दो लाख मात्र)
19	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**45** अवकाश यात्रा व्यय	**2,00,000** (रुपये दो लाख मात्र)
20	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**46** कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	**10,00,000** (रुपये दस लाख मात्र)
21	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**47** कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	**8,00,000** (रुपये आठ लाख मात्र)
22	**044**	**3452801040300**	**49**	**18,00,000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		अधिष्ठान	चिकित्सा व्यय	**(रुपये अठारह लाख मात्र)**
23	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**51** वर्दी व्यय	**1,00,000** **(रुपये एक लाख मात्र)**
24	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**55** मकान किराया भत्ता	**80,00,000** **(रुपये अस्सी लाख मात्र)**
25	**044**	**3452801040300** अधिष्ठान	**58** आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	**1,60,00,000** **(रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)**
	कुल			**16,54,50,000** **(रुपये सोलह करोड़ चौवन लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452801040400 (अलीगढ़ फूड क्राफट इन्स्टीट्यूट की स्थापना **)**

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	**044**	**3452801040400** अलीगढ़ फूड क्राफट इन्स्टीट्यूट की स्थापना	**31** सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	**2,90,00,000** **(रुपये दो करोड़ नब्बे लाख मात्र)**
	कुल			**2,90,00,000** **(रुपये दो करोड़ नब्बे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452801040800 (पर्यटन पुलिस बल का गठन **)**

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	**044**	**3452801040800** पर्यटन पुलिस बल का गठन	**16** व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	**5,50,00,000** **(रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र)**
2	**044**	**3452801040800** पर्यटन पुलिस बल का गठन	**42** अन्य व्यय	**10,00,000** **(रुपये दस लाख मात्र)**
	कुल			**5,60,00,000** **(रुपये पाँच करोड़ साठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808001300 (उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषद, मथुरा **)**

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	**044**	**3452808001300** उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषद, मथुरा	**20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	**2,50,00,000** **(रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)**
2	**044**	**3452808001300**	**31**	**2,80,00,000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषद, मथुरा	सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	**(** रुपये दो करोड़ अस्सी लाख मात्र **)**
	कुल			**5,30,00,000 (रुपये पाँच करोड़ तीस लाख मात्र)**
महायोग	**43,02,00,000 (** रुपये तैंतालीस करोड़ दो लाख मात्र **)**			

के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352**/**दस-2025-231/2025**,** दिनाँक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। उपरोक्त उल्लिखित धनराशि पर सक्षम स्तर से व्यय/भुगतान का अनुमोदन प्राप्त करके ही व्यय/भुगतान किया जायेगा। उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0 प्र0, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उ0प्र0 मथुरा।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उ0प्र0, मथुरा।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
8. प्रधानाचार्य, अलीगढ़ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, अलीगढ़।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।